न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 46/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. भगवानसिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह उम्र 45 वर्ष, जाति राजपुत निवासी-ग्राम केलावा कलां तहसील बावडी, जिला जोधपुर 2. रुपाराम पुत्र श्री नवलाराम उम्र 55 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी ग्राम केलावा कलां तहसील बावडी, जिला जोधपुर वर्तमान वार्डपंच, वार्ड संख्या 11		1. ग्राम पंचायत केलावा कलां जरिये सरपंच/ ग्राम सेवक पंचायत समिति बावडी जिला जोधपुर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बविरुद्ध आबादी भूमि का रियायती दर पर/निःशुल्क आवटंन, भूमि विक्रय विलेख पट्टा जो नियम 158 के तहत मिशल संख्या 7/2018 के पट्टा क्रमांक 35 मिसल डायरी दिनांक 20.06.2018 के दिनांक 24.09.2018 को अनाज भण्डार गौदाम निर्माण केलावा कल्ला के नाम से पट्टा गलत स्थान व गलत प्रक्रिया के व गलत स्थान दर्शित पट्टा अशुद्ध प्रक्रिया के जारी किया गया के सन्दर्भ में एवं पंचायत सरपंच द्वारा पदीय हेसियत के किये गये अवैध जारी पट्टो के सन्दर्भ में।

उपस्थितिः- 1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राठौड उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 17.10.2019

प्रार्थी भगवानसिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम केलावा कलां तहसील बावड़ी जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी ग्राम पंचायत केलावा कलां जरिये सरपंच/ग्रामसेवक पंचायत समिति बावड़ी जिला जोधपुर के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत केलावा कलां द्वारा दिनांक 24.09.2018 को मिसल संख्या 07/2018 में जारी पट्टा संख्या 35 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम केलावा कला ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्थाई निवासी है और उनके हित ग्राम पंचायत केलावा कलां के प्रत्येक कार्य में निहित है तथा प्रार्थीगण की निजी व खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीनस्थ आई हुई है एवं प्रार्थी संख्या 2 वर्तमान में ग्राम पंचायत केलावा कलां के वार्ड संख्या 111 के निर्वाचित वार्ड पंच सदस्य है। ग्राम केलावा कलां में मुख्य सडक मथानिया से सोयला वाया केलावा कलां, बावडी रोड पर वर्तमान सरपंच जसवन्तसिंह द्वारा अपने निजीगत कारणों एवं स्वार्थो से सरपंच की पदीय हेसियत का दुरुपयोग करते हुए अनाज भण्डार गौदाम का निर्माण कार्य अपने घर के समीप विधि

विरुद्ध तरीके से गलत पट्टे की आड लेकर करवा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 भगवानसिंह की खातेदारी भूमि आबादी भूमि के नजदीक खसरा नम्बर 582 जो कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा के रुप में आई हुई है जिसमें प्रार्थी संख्या एक का 1/2 हक व हिस्सा है तथा जिस जमीन की खातेदारी प्रार्थी संख्या एक व वर्तमान सरपंच जसवन्तसिंह के संयुक्त खातेदारी में है जिसका आज दिन तक बंटवाडा व तरमीम नहीं हुई है। प्रार्थी संख्या एक की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 582 के चिपते ही एक तरफ गैर मुमकिन आबादी का खसरा 954 जो कुल रकबा 58 बीघा 10 बिस्वा के रुप में बसी हुई आबादी का आया हुआ है तथा इसी खातेदारी भूमि के दुसरी तरफ गोया (रास्ता) खसरा नम्बर 517 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा के के पास ही लोक देवता पाबुजी का स्थान/चबुतरा/थान आया हुआ है जहां पर पुराने समय से खुले क्षेत्र भू–भाग पर जागरण व उनके स्मृति दिवसों पर जागरण व भजन संध्या करवाई जाती है जो समस्त ग्रामवासियों की आस्था का स्थल है। वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के खसरा नम्बर 520 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा जहां पर किसान भवन, सांडघर, अटल सेवा केन्द्र, पंचायत भवन बने हुए है पर अनाज भण्डार गौदाम के निर्माण का प्रस्ताव पंचायत में दिया जाकर चिन्हित स्थान पर अनाज भण्डार का गोदाम का निर्माण नहीं करवाकर सरपंच द्वारा अपने घर के पास में आबादी खसरा नम्बर 954 में भूमि रिक्त दर्शाकर व गलत प्रक्रिया अपनाते हुए खसरा नम्बर 520 के स्थान पर 954 की आबादी का पट्टा अनाज भण्डार/गौदाम के नाम पर जारी करवा लिया और ऐसे गलत पट्टे को गलत तरीके से खसरा नम्बर 954 की आबादी में दर्शाकर सरपंच अपने घर के सामने निजीगत स्वार्थो व हित के लिए बिना पंचायत के सार्वसहमति के जिस स्थान पर निर्माण करवाया जा रहा है उससे निश्चित रुप से प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 582 व गोया (रास्ता) खसरा नम्बर 517 का क्षेत्र व पाबन्दी का स्थान/चबुतरा व थान का भू–भाग भी प्रभावित है ऐसे में सभी ग्रामवासियों के विरोध के बावजूद अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा गलत तरीके से अनाज भण्डार गोदाम के रुप में गलत निर्माण करवाया जा रहा है। अनाज भण्डार गोदाम के लिए जो पट्टा अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है ऐसा पट्टा नियम 158 के तहत जारी करने की कानूनी अधिकारिता नहीं रखता है। नियम 158 पंचायती राज अधिनियम के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन से सम्बन्धित प्रावधान होने से किसी भी गोदाम के बारे में रियायती दर पर भूमि का पट्टा इस नियम के तहत जारी नहीं हो सकता। ऐसे में अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा गलत प्रक्रिया अपनाते हुए अनाज भण्डार गोदाम के निर्माण का गलत नाम से पट्टा जारी किया जो अवैध व विधि विरुद्ध है। पंचायती राज अधिनियम के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण बाबत तीन पंचो की समिति का आयोजन होना, आने–जाने की सुविधा, सुखाचार, हित प्रभावित लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दी जानी होती है जबकि हस्तगत मामले में दिनांक 20.05.2017 को खसरा नम्बर 954 को दर्षित करते हुए जो मौका फर्द बनाई गई है वह वास्तविक रुप से आबादी के खसरा नम्बर 954 के ट्रेस नक्शे से विपरीत है ऐसे में ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में उप सरपंच, सरपंच, हल्का पटवारी, ग्राम सेवक व भू अभिलेख निरीक्षक की जो मौका फर्द तैयार की गई है वह वास्तविक भूमि क्षेत्र से हटकर है ऐसे में विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत के अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों ने पंचायत के गलत प्रस्ताव को बिना विधिवत प्रक्रिया के प्रमाण पत्र जारी किये और गलत स्थान पर, गलत दर्शित पट्टा गलत खसरा आबादी का दर्शित कर प्रस्तावित स्थान के बजाय दुसरे स्थान पर गलत तरीके से

बनवाया जा रहा है। खसरा नम्बर 954 की आबादी के छोर पर पटवार भवन बना हुआ है, उसके आगे खसरा नम्बर 582 निजी खातेदारी की जमीन आती है और दूसरी तरफ खसरा नम्बर 517 गोया (रास्ता) की भूमि आई हुई है जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से भी स्पष्ट दर्शित है ऐसे में अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित स्थान से हटकर गलत जगह पर उक्त पट्टे की आड में निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थी संख्या दो स्वयं वर्तमान ग्राम पंचायत का वैधानिक सदस्य है जिसको व अन्य वार्ड पंचो को गुमराह करते हुए गलत प्रस्ताव पर अनुमोदित हस्ताक्षर करवाकर, झुठे तथ्यों और झुठे प्रस्ताव कागजी खानापूर्ति के लिए दिये गये। वर्तमान में जिस स्थान पर अनाज भण्डार गोदाम निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उस स्थान का प्रस्ताव किसी भी वार्ड पंच की जानकारी के अनुसार नहीं लिया गया ऐसी कोई चिन्हित जगह आबादी में खाली ही नहीं है। अप्रार्थी सरपंच ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नियम 158 के तहत सियाराम पुत्र चिमाराम के नाम का पट्टा जारी करवाकर व नियम अनुसार अहस्तान्तरणीय होने के बावजूद उसका बेचान दस्तावेज अपने नाम करवा लिया और लादुराम भील पुत्र नेनाराम भील के नाम का अहस्तान्तरणीय पट्टे की भूमि गलत तरीके से अपने नाम करवा ली तथा स्वयं के नाम दुकानों का पट्टा अपने ही कार्यकाल में अपनी पदीय हेसियत का दुरुपयोग करते हुए जारी करवा लिया। इसी पंचायत द्वारा वर्ष 2010 में आंगनवाडी केन्द्र के लिए पट्टा संख्या 01 मिशल संख्या 06/2010-2011 जारी हुआ था उसी नाम का दुसरा आंगनवाडी भवन का मिशल संख्या 02/ 2018 का दिनांक 24.09.2018 को एक और पट्टा जारी करवा लिया। अप्रार्थी द्वारा पंचायत नियमों व पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर दुषित व अशुद्ध प्रक्रिया के तहत अनाज भण्डार भवन निर्माण का पट्टा जारी किया गया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत केलावा कलां पंचायत समिति बावड़ी द्वारा दिनांक 24.09.2018 को मिसल संख्या 07/2018 में अनाज भण्डार भवन निर्माण केलावा कल्ला के नाम जारी पट्टा संख्या 35 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राठौड़ ने अपनी बहस में निगरानी प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि उक्त पट्टा नियम 158 में गलत प्रावधान के तहत जारी किया गया है। सीमांकन में दर्शित भूमि मौके पर नहीं है तथा मौका फर्द व राजस्व नक्शा में भी अन्तर है। उक्त पट्टा खसरा नम्बर 954 में बनाया लेकिन प्रस्ताव व अनुमोदन खसरा नम्बर 520 में लिया गया है। जहां पट्टा जारी कर निर्माण करवाया जा रहा है वहां पाबूजी का थान व चबूतरा है जहां पर विभिन्न लोक आयोजन होते है। खसरा नम्बर 517 रास्ते की भूमि भी इसमे प्रभावित हो रही है। अतः प्रभावित हो रहे खसरे के अतिरिक्त वास्तविक स्थान पर सीमांकन कर निर्माण कार्य करवाने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत केलावा कलां पंचायत समिति बावड़ी द्वारा दिनांक 24.09.2018 को मिसल संख्या 07/2018 में अनाज भण्डार भवन निर्माण केलावा कल्ला के नाम जारी पट्टा संख्या 35 को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री माधवराज चौधरी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में यह स्पष्ट नहीं किया कि अनाज भण्डार भवन का निर्माण खसरा नम्बर 517 या खसरा नम्बर 582 में किया जा रहा है अथवा पाबूजी की

ओरण में किया जा रहा है। उक्त अनाज भण्डार भवन का निर्माण आबादी भूमि में हो रहा है। पूर्व में भी उक्त निर्माण के संबंध में शिकायते हुई है व उनकी जांच की गई है। उक्त पट्टा संख्या 35 में दर्शाई गयी भूमि के अतिरिक्त यदि रास्ते या खातेदारी भूमि में निर्माण हो रहा है तो सक्षम न्यायालय में जाने का प्रावधान है। मौका फर्द में सरपंच, उपसरपंच, पटवारी व ग्रामसेवक के हस्ताक्षर है। उक्त पट्टा नियम 158 में जारी किया गया है वह केवल लिखने में भूल है उसके आधार पर उक्त पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता है बल्कि उसको सुधारा जा सकता है। उक्त पट्टा ग्रामीणों व स्थानीय लोगों के जनहित में जारी किया गया है न कि निजी हित हेतु जारी किया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत केलावाकलां पंचायत समिति बावड़ी द्वारा दिनांक 24.09.2018 को मिसल संख्या 07/2018 में अनाज भण्डार भवन निर्माण केलावा कल्ला के नाम जारी पट्टा संख्या 35 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत केलावा कलां द्वारा अनाज भण्डार भवन निर्माण केलावा कलां के नाम दिनांक 24.09.2018 को जारी किया गया है, तबसे प्रार्थी की जानकारी में होने के बावजूद कोई आपत्ति नहीं की गयी। पूर्व में भी अनाज भण्डार भवन के निर्माण के संबंध में शिकायत हुई है व उनकी जांच की गई है। अनाज भण्डार भवन का निर्माण उक्त पट्टा संख्या 35 में दर्शित भूमि के अतिरिक्त यदि रास्ते की भूमि या किसी खातेदारी भूमि में हो रहा है तो प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केलावा कलां, पंचायत समिति बावड़ी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर